In the Court of District and Sessions Judge, Laitpur.

Sessions Case/353/2022

STATE OF U.P. Vs. Krishn Murari Khare s/o Dwarika Prasad

CHARGE

मैं, चन्द्रोदय कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर आप अभियुक्त कूरा आदिवासी पुत्र झुत्ता आदिवासी, निवासी ग्राम मैंगुवा थाना सौजना, जनपद ललितपुर को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ:–

1– यह कि घटना की दिनॉक 03.11.2021 को समय 7 बजे रात्रि स्थान वादी की दुकान पर आप अभियुक्त द्वारा वादी के भाई संतोष को कुल्हाड़ी से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल किया गया। यदि आपके उक्त कृत्य से मृत्यु होती तो आप हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के दोषी होते। इस प्रकार आप अभियुक्तगण ने ऐसा अपराध कारित किया है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 308 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि घटना की दिनाँक, समय व स्थान उपरोक्त पर आप अभियुक्त द्वारा वादी व उसके भाई को मारपीट कर साधारण प्रकृति की उपहति कारित की गयी। इस प्रकार आप अभियुक्त द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3– यह कि घटना की दिनाँक, समय व स्थान उपरोक्त पर आप अभियुक्त द्वारा वादी के भाई पर खतरनाक आयुध कुल्हाड़ी से वार करके उसे उपहति कारित की गयी। इस प्रकार आप अभियुक्त द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया है, जो भारतीय दण्ड़ संहिता की धारा 324 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4– यह कि घटना की दिनाँक, समय व स्थान उपरोक्त पर आप अभियुक्त द्वारा वादी के भाई पर धारदार हथियार कुल्हाड़ी से वार करके उसे घोर प्रकृति की उपहति कारित की गयी। इस प्रकार आप अभियुक्त द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

5– यह कि घटना की दिनाँक, समय व स्थान उपरोक्त पर आप अभियुक्त द्वारा वादी को गाली–गलौज कर साशय अपमानित किया गया, जिससे लोक शांति भंग होने की संभावना उत्पन्न हुई। इस प्रकार आप अभियुक्त द्वारा ऐसा अपराध कारित किया गया है जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाये एवं समझाये गये। अभियुक्त ने लगाए गए आरोपों से इंकार किया तथा विचारण चाहा।

दिनॉक–31.10.2022

(चन्द्रोदय कुमार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ललितपुर।

एतद्द्वारा आपको निर्दिष्ट किया जाता है कि उक्त आरोपों के तहत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनॉक–31.10.2022

(चन्द्रोदय कुमार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ललितपुर।

In the Court of District and Sessions Judge, Laitpur.

Sessions Case/353/2022

STATE OF U.P. Vs. Krishn Murari Khare s/o Dwarika Prasad

31.10.2022

पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी। अभियुक्त कूरा आदिवासी समक्ष न्यायालय उपस्थित हैं।

पत्रावली आज आरोप पर सुनवाई हेतु नियत है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (आपराधिक) के आरोप पर तर्क सुने तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तथा उसे उन्मोचित किये जाने की प्रार्थना की गयी। जिसके जवाब में विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त द्वारा वादी को गाली गलौज करते हुए मारपीट की गयी तथा वादी के भाई के गले में कुल्हाड़ी से वार करके गंभीर रूप से घायल किया गया है। इसलिए अभियुक्त पर आरोप विरचित किये जाने के पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

पत्रावली पर उपलब्ध अभियोजन साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध धारा 308 323, 324, 326, 504 भा.द.सं. के आरोप अधिरोपित किये जाने हेतु इस स्तर पर प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार उपलब्ध हैं।

अतः अभियुक्त के विरूद्ध धारा 308 323, 324, 326, 504 भा.द.सं. के आरोप पृथक पृष्ठ पर विरचित किये जाते हैं।

पत्रावली वास्ते अभियोजन साक्ष्य दिनॉक 02.12.2022 को पेश हो।

दिनॉक–31.10.2022

(चन्द्रोदय कुमार)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
ललितपुर।